संख्या- 1/2025/2048/छप्पन-2024-05(सा0)/22

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
लखनऊ, उ0प्र0।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 02 जनवरी, 2025

विषयः राज्य में वायुयानों के Maintenance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास हेतु निर्धारित नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि को अग्रेतर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 304/ना0उ0नि0-2024-ह0प0/2023 दिनांक 30.12.2024 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य में वायुयानों के Maintenance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास हेतु निर्धारित नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि को 31 दिसम्बर, 2024 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2026 किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या- 50/2022/1083/छप्पन-2022-05(सा0)/2022 दिनांक 30.06.2022 द्वारा राज्य में वायुयानों के Maintenance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण किया गया है। उक्त नीति के अन्तर्गत उ0प्र0 में एम0आर0ओ0 नीति का लाभ प्राप्त उन्हीं इकाईओं को अनुमन्य किया गया है जिनके आवेदन पत्र 31.12.2024 तक नीति के अन्तर्गत एम0आर0ओ0 की स्थापना हेतु नागरिक उड्डयन विभाग में प्राप्त होंगे।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्य में वायुयानों के Maintenance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास हेतु निर्धारित नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 31 दिसम्बर, 2024 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2026 की जाती है।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव।

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृष्ठांकन संख्या:- 1/2025/2048(1)/छप्पन-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4. महालेखाकार (प्रथम), प्रयागराज।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, को इस आशय से प्रेषित कि एम0आर0ओ0 नीति के अर्न्तगत एम0आर0ओ0 इकाईयों को पूँजी निवेश हेतु अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करें।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 / वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनु0-7/ नियोजन अनु0-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।